

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2019-20/61 / 3853-2

दिनांक 29.07.2019

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ हेतु आवंटित/अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ आवंटित/अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु वित्तीय दिशा-निर्देश निम्नवत् है—

FMR Code No. U.3.1.1.1 Incentive for Routine Activity- इस मद में 48 जनपदों हेतु स्वीकृत 1000 नवीन नॉन स्लम आशा की प्रतिपूर्ति राशि हेतु ₹0 2000/- प्रति आशा (नॉन स्लम आशा) प्रतिमाह की दर से, संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार, कुल 6 माह (अक्टूबर से मार्च) हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार भुगतान किया जाना है।

FMR Code No. U.3.1.1.4 ASHA Incentive for H&WC- इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत TBI & NCD screening हेतु ₹0 1000/- प्रति माह प्रति आशा की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार भुगतान किया जाना है।

FMR Code No. U.3.1.2.1 - Induction Training of U-ASHA- इस मद में 1000 नवीन नॉन स्लम आशा प्रशिक्षण के हेतु ₹0 1,28,000/- प्रति बैच की दर से 33 बैच तथा माड्यूल प्रिंटिंग हेतु ₹ 100 प्रति आशा की दर 1000 नवीन नॉन स्लम आशा हेतु संलग्न फॉट के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

FMR Code No. U.3.1.3.1 Other non monetary incentive cost - Uniform—इस मद में स्वीकृत 1000 नवीन अरबन आशाओं (नॉन स्लम आशा) के यूनिफार्म हेतु ₹0 450/- प्रति आशा की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. New- U.6.2.1 Drugs for UPHC - वर्ष 2019-20 की आर०ओ०पी० में Drugs for UPHC हेतु ₹0 6,50,000/- प्रति UPHC की दर से (कुल 12 माह) हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। पूर्व में रिऐजेंट एण्ड कन्ज्यूमब्लस हेतु ₹0 24,375/- प्रति UPHC की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस मद में पुनः Drugs & Supply for UPHC हेतु ₹0 1,05,625/- (20% of the Total Budget @ Rs. 650000/- per UPHC for 12th Month after reducing first allocation) प्रति UPHC की दर से धनराशि पुनः आवंटित की गयी है। औषधि का क्रय राज्य क्रय नियमों के अनुसार किया जाना है।

नोट - पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक हेतु भारत सरकार द्वारा Experience Bonus स्वीकृत नहीं किया गया है।

FMR Code No. New- U.12.1 Printing Activity -1000 नवीन नॉन स्लम आशा हेतु ₹0 275/- प्रति Urban ASHA की दर से 1000 नवीन नॉन स्लम आशा हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें Urban ASHA register (Rs. 250/-) & Urban ASHA Voucher (25/-) की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

संविदा मानव संसाधन : संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को घटाते हुये शेष माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। साथ ही 05 प्रतिशत इन्क्रीमेंट (01 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त), 05 प्रतिशत Experience Bonus (जिनके 05 वर्ष पूर्ण हो गये हैं और 03 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत का Experience Bonus प्रदान किया जा चुका है) एवं 10 प्रतिशत Experience Bonus (जिनके 03 वर्ष पूर्ण हो गये हैं) संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

जनपद लखनऊ में अरबन आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत Support staff हेतु Lump sum amount Rs. 2.88 lakh की धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय—

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— आवंटित धनराशि की जनपदवार फॉट।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget /2019-20/61 /

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशारी अभियन्ता, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
7. वित्त नियंत्रक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
9. सम्बंधित जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2019-20/61 /

दिनांक: 29.07.2019

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ हेतु आवंटित/अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ आवंटित/अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु वित्तीय दिशा-निर्देश निम्नवत् है—

FMR Code No. U.3.1.1.1 Incentive for Routine Activity- इस मद में 48 जनपदों हेतु स्वीकृत 1000 नवीन नॉन स्लम आशा की प्रतिपूर्ति राशि हेतु रु0 2000/- प्रति आशा (नॉन स्लम आशा) प्रतिमाह की दर से, संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार, कुल 6 माह (अक्टूबर से मार्च) हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार भुगतान किया जाना है।

FMR Code No. U.3.1.1.4 ASHA Incentive for H&WC- इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत TBI & NCD screening हेतु रु0 1000/- प्रति माह प्रति आशा की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार भुगतान किया जाना है।

FMR Code No. U.3.1.2.1 - Induction Training of U-ASHA- इस मद में 1000 नवीन नॉन स्लम आशा प्रशिक्षण के हेतु रु0 1,28,000/- प्रति बैच की दर से 33 बैच तथा माड्यूल प्रिंटिंग हेतु रु 100 प्रति आशा की दर 1000 नवीन नॉन स्लम आशा हेतु संलग्न फॉट के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

FMR Code No.U.3.1.3.1 Other non monetary incentive cost - Uniform—इस मद में स्वीकृत 1000 नवीन अरबन आशाओं (नॉन स्लम आशा) के यूनिफार्म हेतु रु0 450/- प्रति आशा की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. New- U.6.2.1 Drugs for UPHC - वर्ष 2019-20 की आर0ओ0पी0 में Drugs for UPHC हेतु रु0 6,50,000/- प्रति UPHC की दर से (कुल 12 माह) हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। पूर्व में रिऐजेंट एण्ड कन्ज्यूमबल्स हेतु रु0 24,375/- प्रति UPHC की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस मद में पुनः Drugs & Supply for UPHC हेतु रु0 1,05,625/- (20% of the Total Budget @ Rs. 650000/- per UPHC for 12th Month after reducing first allocation) प्रति UPHC की दर से धनराशि पुनः आवंटित की गयी है। औषधि का क्रय राज्य क्रय नियमों के अनुसार किया जाना है।

नोट - पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक हेतु भारत सरकार द्वारा Experience Bonus स्वीकृत नहीं किया गया है।

FMR Code No. New- U.12.1 Printing Activity -1000 नवीन नॉन स्लम आशा हेतु रु0 275/- प्रति Urban ASHA की दर से 1000 नवीन नॉन स्लम आशा हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें Urban ASHA register (Rs. 250/-) & Urban ASHA Voucher (25/-) की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

संविदा मानव संसाधन : संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को घटाते हुये शेष माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। साथ ही 05 प्रतिशत इन्क्रीमेंट (01 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त), 05 प्रतिशत Experience Bonus (जिनके 05 वर्ष पूर्ण हो गये हैं और 03 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत का Experience Bonus प्रदान किया जा चुका है) एवं 10 प्रतिशत Experience Bonus (जिनके 03 वर्ष पूर्ण हो गये हैं) संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

जनपद लखनऊ में अरबन आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत Support staff हेतु Lump sum amount Rs. 2.88 lakh की धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय—

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— आवंटित धनराशि की जनपदवार फॉट।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2019-20/61 / 3853-2(9)

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशाली अभियन्ता, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
7. वित्त नियंत्रक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
9. सम्बंधित जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक